




आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
19/05/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस०ए०आर० पुनरीक्षण 58/2010</p> <p style="text-align: center;">विसेंट लिण्डा व अन्य बनाम् महादेव उरांव</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण अपर समाहर्ता, राँची द्वारा एस० ए० आर० अपील-152-R15/2008-09 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। विपक्षियों के द्वारा खाता नम्बर-54, प्लॉट-1222 एवं 1223, कुल रकबा-2.88 एकड़ ग्राम-आरा के भूमि वापसी हेतु वाद संख्या-355/2002-06 दायर किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा 1.99 एकड़ भूमि का वापसी हेतु आदेश दिया गया, जबकि 0.89 एकड़ भूमि का अनुरोध खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी महादेव उरांव द्वारा अपर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसे मान्य करते हुये सम्पूर्ण 2.88 एकड़ भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया।</p> <p>इस वाद में उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अपीलार्थी की तरफ से विपक्षियों का पूर्ण पता उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण विपक्षियों को नोटिस निर्गत नहीं किया जा सका। अपीलार्थियों की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक-25.06.2019 को दर्ज की गयी, जिसके बाद से अपीलार्थी भी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है, उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-17.01.2022, 18.04.2022 तथा 02.05.2022 को लगातार मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर इस वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।</p> <p>अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि 1945 में ही उन्हें प्राप्त हुई थी तथा उक्त समय से ही वे भूमि पर मकान बनाते हुये दखलकार है। अतः यह भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। उक्त भूमि सादा बिक्री पत्र से अपीलार्थी के पिता द्वारा विपक्षियों के पिता से वर्ष-1945 में क्रय की गयी थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा तथा विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट होता है कि</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>उक्त भूमि बंधक के रूप में मौखिक तौर पर अपीलार्थी को दी गयी, जिसके पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा सादा बिक्री पत्र के आधार पर भूमि पर दावा किया गया है। यदि अपीलार्थी 1945 से प्रश्नगत भूमि के दखलकार थे, उक्त भूमि पर लगान निर्धारण तथा नामान्तरण हेतु इतने वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा जमीन के वास्तविक अंतरण का निर्धारण नहीं होने के कारण 0.89 एकड़ भूमि के भूमि वापसी के दावे को अमान्य किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रश्नगत भूमि के लगान रसीद आदि आवेदकों के पास नहीं है। Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व किसी प्रकार के निर्माण के संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया है। इस न्यायालय में वाद के निष्पादन में अपीलार्थियों की तरफ से कोई अभिरुचि नहीं दिखायी गयी है तथा उनका सम्पूर्ण दावा मात्र प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से निर्माण होने के आधार पर है किन्तु इस बिन्दु पर भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व किसी प्रकार के निर्माण प्रश्नगत भूमि पर किये जाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इस आवेदन को खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p> <p style="text-align: right;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p>	